प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.11.2026

- **थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का 15 किलो ग्राम तार अल्फा 207 सिल्वर ब्रेजिंग एलोय कीमत 15,00,000/- रूपये बरामद।**

कृपया सादर अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण एवं घटनाओं की रोकथाम तथा अभियोगों के सफल अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 11.11.2026 को उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह हे0का0 250 सत्येन्द्र सिंह, हे0का0 327 राधाकृष्ण व का0 629 सोनू चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गस्त व थाना रनियां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अज्ञात अभियुक्तगण की तलाश व सुरागरसी पतारसी हेतु खानपुर खरंजा मोड़ पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास मुखबिर खास ने सूचना दी कि ट्राइडेन्ट कम्पनी खानपुर खरंजा रोड पर जो चोरी हुई थी, उससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण चोरी के माल सहित रामदीनपुरवा से रहीमपुर जाने वाले रास्ते पर ताहिर की जमीन में बने बाउंड्री वाल के सामने खड़े हैं, जो चोरी का माल बेचने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर घेराबंदी कर 02 अभियुक्तगण 1. शिवम पुत्र अशोक यादव निवासी ग्राम गोधनपुरवा थाना रनियां जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 24 वर्ष 2. शीलू यादव पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम हृदयपुर थाना शिवली कानपुर देहात, उम्र करीब 28 वर्ष को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त की तलाशी लेने पर दोनों अभियुक्तों के पास से एक झोले में रखे तारों के 03 बंडल बंधे हुए प्लास्टिक की पारदर्शी पन्नी में व कुछ तार खुले मुड़े हुए सफेद प्लास्टिक की बोरी में बरामद हुए। बरामद माल को इलैक्ट्रॉनिक कांटा से तौला गया तो झोला सहित 15.350 किलोग्राम तथा बिना झोले के वजन पोलीथीन सहित 15 किग्रा० तार अल्फा 207 सिल्वर ब्रेजिंग एलॉय बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 211/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। गिरफ्ताशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने एक राय होकर बताया कि दिनांक 19.10.2026 की रात में हम लोगों ने मिलकर ट्राइडेन्ट कम्पनी से यह माल चोरी किया है। हम लोगों को यह जानकारी थी कि बरामद तार में चांदी होती है जो काफी कीमती है। मामला शान्त होने पर आज हम लोग यह तार बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

1. 15 किलो ग्राम तार अल्फा 207 सिल्वर ब्रेजिंग एलोय कीमत 15,00,000/- रूपये

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. शीलू यादव पुत्र रामबाबू, निवासी हृदयपुर, उम्र करीब 28 वर्ष, थाना शिवली, कानपुर देहात
2. शिवम पुत्र अशोक यादव उर्फ पुत्तन, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी गोधनपुर्वा, थाना रनियां कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उमेश कुमार
2. हे0का0 250 सत्येन्द्र
3. हे0का0 327 राधाकृष्ण
4. का0 629 सोनू